भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2339

उत्तर देने की तारीख : 13.03.2025

पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए योजना

2339. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में पहली बार उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना में किस प्रकार महिला उद्यमियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों को विशेष रूप से लाभान्वित करने की योजना है और इस योजना में उन्हें शामिल करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) इस योजना के तहत सावधि ऋण के लिए पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं और प्रस्तावित ब्याज दर की संरचना या पुनर्भुगतान की समय-सूची क्या है;

(घ) सरकार किस प्रकार पात्र आवेदकों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में उद्यमिता विकास, विशेष रूप से महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बीच इस योजना के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : जैसाकि वित्त मंत्रालय के वितीय सेवाएं विभाग द्वारा बताया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पैरा यह प्रावधान करता है कि "पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह अगले 5 वर्षों के दौरान 2.00 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण प्रदान करेगी। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया योजना से सीखे गए सबक शामिल किए जाएंगे। उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण का भी आयोजन किया जाएगा।"

*****